(21)

निग0 5504/2018/रीवा/भू.रा.

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,
जिला रीवा म0प्र0 .

==

श्रीमती अनीषा बेगम पत्नी श्री यूसुफ खान उम्र 56 वर्ष पेशा ग्रहणी , नि0 पचमठा चौराहा घोघर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा, मध्यप्रदेश
==================आवेदिका

बनाम

रफीक रिवानी तनय स्व0 रहीम बक्श उम्र 66 वर्ष पेशा रिटायर्ड शिक्षक निवासी पचमठा चौराहा घोघर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
================== अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री के0 पी0 पाण्डेय नजूल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी नजूल रीवा जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण क्र0 3/बी/121/15-16 मे पारित आदेश दि0 11-07-2018
=====================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 ई0
=====================================

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त विवरण निम्न है:-

1- यहकि, अनावेदक की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नजूल के प्रकरण क्र0 1/बी/121/15-16 मे पारित आदेश दि0 30-10-2015 के विरूद्ध अपील से जिसका निराकरण 1-2-2018

(21)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5504 / 2018 / रीवा / भू–रा0 जिला- रीवा

श्रीमती अनीषा बेगम / रफीक रिवानी

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री मोरध्वज सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नजूल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, नजूल रीवा के प्रकरण क्रमांक 03 / बी–121 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.07.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	